न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री राकेश कुमार गुप्ता, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 15 / 2021

अपीलान्ट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1 गरीबाराम पुत्र धनाराम 2 रामस्वरूप पुत्र धनाराम 3 मुन्नालाल पुत्र धनाराम 4 सिंवरी पत्नी धनाराम जातियान बावरी निवासीगण कुचेरा तहसील मुण्डवा जिला नागौर।		1 हरीराम पुत्र दुर्गाराम जाति जाट 2 लीला पुत्री रामपाल जाति बावरी 3 मांगुडी पुत्री रामपाल जाति बावरी निवासी कुचेरा तहसील मुण्डवा जिला नागौर 4 नायब तहसीलदार नागौर तहसील नागौर वर्तमान तहसील मुण्डवा जिला नागौर।

उपस्थिति :–

1. श्री रमेश कुमार ढाका अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट 04 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 27.09.2023

{1}–अपीलान्ट्स ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार नागौर मौजा कुचेरा के नामान्तरकरण सं. 1266 निर्णय दिनांक 27.03.1978 से असंतुष्ट होकर दिनांक 11.06.21 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट्स की अपील दिनांक 23.06.21 को मियाद का बिंदु विचाराधीन रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 03 बावजूद सूचना के न्यायालय में अनुपस्थित रहे तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 04 की ओर से श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। अपीलांट्स ने अपनी अपील के समर्थन में नामान्तरकरण सं. 1266 की फोटोप्रति, सहायक जिलाधीश नागौर को प्रस्तुत जवाब दावा की फोटोप्रति, रजिस्ट्री दिनांक 23.04.21 की फोटोप्रति, ग्राम कुचेरा की जमाबंदी संवत 2076 की फोटोप्रति पेश की गई।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट्स के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि अपीलांट्स व रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 का कब्जा काश्त विवादित भूमि पर निरन्तर चला आ रहा है, किन्तु खतौनी को देखने का कोई काम नहीं पडा, जिसके कारण उक्त गलत व फर्जी इन्द्राज की जानकारी पहले अपीलांट्स को नहीं हो सकी थी। दिनांक 26.04.21 को दिन में गांव में चर्चा सुनी कि हरिराम खसरा नम्बर 22 की भूमि का विक्रय कर रहा है, तब अपीलाट्स ने ऑन लाईन खतौनी देखी तो उसमे खसरा नम्बर 22 की सम्पूर्ण भूमि रेस्पोडेंट संख्या 1 हरिराम के नाम से दर्ज पाई, जिस पर अपीलांट्स ने रेस्पोडेंट संख्या 1 के पास जाकर उक्त इन्द्राज को सही करवाने का कहा तथा यह भी कहा कि, आपका तो इस जमीन पर कभी कब्जा काश्त ही नहीं रहा, फिर सम्पूर्ण भूमि आपके नाम से खाते में कैसे दर्ज हुई तो रेस्पोडेंट संख्या 1 व उसके परिवारवालों ने धमकी देते हुये कहा कि, हम तो इस पूरी भूमि का बेचान, हस्तान्तरण, बंधक रखेगें, चाहे हमारा कब्जा काश्त हो या नहीं तथा हमारे नाम कैसे भी आई हो। तत्पश्चात् पूछताछ कर दिनांक 28.04.21 को अपीलांट नागौर आये तथा नामान्तरकरण की नकल के लिये आवेदन पेश किया, जिस पर अपीलांट्स को उक्त कथित म्यूटेशन की दिनांक 05.05.21 को नकलें मिली व उसके बाद कोविड 19 के कारण लॉक डाउन होने के कारण उक्त अपील लॉक डॉउन समाप्त होने पर पेश की गई, जो जानकारी के दिन से अंदर मियाद शुमार किया जाना न्याय संगत है तथा अपने कथन के समर्थन आरआरटी 2002 (1) पेज 648 से 655, आरआरटी 2017 (2) पेज 1104 से 1107, आरआरटी 2020 (2) पेज 791 से 794, आरआरटी 2004 (1) पेज 374 से 380 तक नजीरे पेश की। अंतिम बहस शुरू करते हुए वकील अपीलांट्स ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)– नायब तहसीलदार, नागौर ने प्राकृतिक न्याय के सामान्य सिद्वान्तों व विक्रय की अनदेखी करते हुये बिना किसी आधार के व बिना किसी दस्तावेज के उक्त नामान्तरकरण दर्ज किया गया है, जो अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(II)– विवादित भूमि पुश्तैनी भूमि है तथा उक्त खसरा नम्बर 22 में से अपीलांट्स के पिता व पति धनाराम व रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 के पिता रामपाल ने कभी भी अपना कोई हिस्से का बेचान रेस्पोडेंट संख्या 1 को नहीं किया और न ही किसी प्रकार का कोई कब्जा सुपुर्द किया है। इसके बावजूद रेस्पोडेंट संख्या 1 ने

अपर कलक्टर, नागौर

राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत करके गलत रूप से 1/3 हिस्से के अलावा 2/3 हिस्सा भूमि का भी नामान्तरकरण अपने नाम दर्ज करवा लिया, जबकि रेस्पोडेंट संख्या 1 को ऐसा करने का कोई हक व अधिकार न तो था व न ही है। इसलिये नायब तहसीलदार द्वारा भरा गया उक्त नामान्तरकरण निरस्त किये जाने योग्य है।

{2}(III)–नायब तहसीलदार, नागौर ने नामान्तरकरण दर्ज करने से पूर्व कब्जे के संबंध में किसी प्रकार की कोई जांच नहीं की, जबकि नायब तहसीलदार, नागौर का यह उतरदायित्व था कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि के संबंध में नामान्तरकरण दर्ज करने से पूर्व कब्जे व खातेदारों के संबंध में तथा विक्रय पत्र के संबंध में भलीभांति जांच करने के पश्चात ही कार्यवाही करते किन्तु नायब तहसीलदार, नागौर ने नामान्तरकरण दर्ज करने की प्रक्रिया को अपनाये बिना ही व बिना किसी प्रकार की कोई जांच किये, रेस्पोडेंट संख्या 1 को अनुचित लाभ पहुंचाने की नियत से कथित नामान्तरकरण दर्ज करने का आदेश जैर अपील पारित कर दिया, इसलिये भी नामान्तरकरण संख्या 1266 निरस्त किये जाने योग्य है।

{2}(IV)–सहायक कलक्टर (मुख्यालय) के समक्ष एक वाद 106/2003 बअनवान रामपाल बनाम कानाराम विचाराधीन था, जिसमें रेस्पोडेंट संख्या 1 अपने जवाब दावा में भी कानाराम के 1/3 हिस्से को खरीद करना स्वीकार किया है किन्तु रेस्पोडेंट संख्या 1 ने उक्त जवाब दावा मे जो बंट बताया है वह अस्वीकार है। इस प्रकार सम्पूर्ण दस्तावेजों व रेकर्ड से यह साबित होता है कि विवादित भूमि में से कानाराम द्वारा ही 1/3 हिस्से का बेचान किया गया था, किन्तु रेस्पोडेंट संख्या 1 ने गलत रूप से रामपाल व धनाराम का हिस्सा भी अपनी खातेदारी में बिना हक अधिकार व बिना किसी प्रकार के बेचान के दर्ज करवा लिया। जिसका उसे कोई हक व अधिकार न तो था न ही है। इसलिये भी उक्त नामान्तरकरण निरस्त किये जाने योग्य है।

{2}(IV)– नायब तहसीलदार नागौर को विक्रय पत्र में अकिंत हिस्से से अधिक का नामान्तरकरण न तो दर्ज करने का अधिकार था ओर ऐसा करने के लिये अधिकृत था, इसके बावजूद रेस्पोडेंट संख्या 01 ने राजस्व कर्मचारियों के साथ मिलीभगत करके गलत रूप से सम्पूर्ण भूमि का नामान्तरकरण अपने नाम दर्ज करवा लिया, जो निरस्तनीय है।

{3}–रेस्पोडेन्ट सं. 04 की ओर से राजकीय अधिवक्ता अपनी बहस में बताया कि उक्त नामान्तरण के एलआर रिपोर्ट में अंकित है कि यह नामान्तरण बावरी अनुसूचित जाति के व्यक्ति के नाम भरा गया। यह जाति बावरी अनुसूचित जाति में दिनांक 20.07.77 को आई। रजि. दिनांक 14.07.75 की है। यह इस दिनांक से पूर्व में भी भरा जा सकता था जिससे यह ज्ञात होता है कि तहसीलदार ने विधि अनुसार नामान्तरण भरा गया है तथा अपीलांट्स ने समय सीमा में अपील नहीं की तथा समय सीमा में अपील नहीं करने का ठोस एवं उचित कारण भी नहीं बताया है जिससे यह अपील मियाद बाहर है अतः अपील मियाद के बिन्दु पर चलने योग्य नहीं है।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अद्योपान्त अध्ययन किया गया। प्रकरण में मौजा कुचेरा के नामान्तरकरण सं. 1266 दिनांक 27.03.1978 की स्वीकृति से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। पत्रावली पर प्रस्तुत नामान्तरण का अवलोकन किया गया। उक्त नामान्तरण के एलआर रिपोर्ट में अंकित है कि "यह नामान्तरण बावरी अनुसूचित जाति के व्यक्ति के नाम भरा गया। यह जाति बावरी अनुसूचित जाति में दिनांक 20.07.77 को आई। रजि. दिनांक 14.07.75 की है। यह इस दिनांक से पूर्व में भी भरा जा सकता था।" जिससे ज्ञात होता है कि तहसीलदार द्वारा उक्त नामान्तरण विधि अनुसार भरा गया है। अपील करीब 43 वर्ष से अधिक समय पश्चात प्रस्तुत की गई है तथा देरी के लिये प्रतिदिन का कारण बताना होता है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट्स की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील यथावत कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार गुप्ता)
अपर कलक्टर, नागौर
अपर कलक्टर, नागौर